

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 3292 /14-1, दिनांक: अलीगढ़, अप्रैल 03, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय:- एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0-85) किमी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या-999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/06/32/2016/एफ0सी0/904 दिनांक 15.03.2018 एवं आपका पत्रांक 2699/एटा/13100/2015 दिनांक 21.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा पत्र संख्या 2118/14-1 दिनांक 29.03.2018 से उपलब्ध करायी गयी है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या के आधार पर आपत्तियों का निम्नप्रकार निराकरण किया जाता है।

क्र0सं0	लगाई गयी आपत्ति	उत्तरालेख
1	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन का क्षेत्रफल प्रस्तुत करें।	उल्लंघन सम्बन्धी क्षेत्रफल का आगणन पत्र संलग्न है। (संलग्नक संख्या-1)
2	उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी आत्म निहित नोट उपलब्ध करायें।	प्रभागीय वनाधिकारी आत्म निहित नोट संलग्नक है। (संलग्नक संख्या-2)
3	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना उपलब्ध करायी जाए।	दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (एस्टीमेट, के0एम0एल0) संलग्न है। (संलग्नक संख्या-3)

भवदीय,



(बी0 प्रभाकर) 3.4.18

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 3292 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
2. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा।


(बी0 प्रभाकर) 3.4.18

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।